<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टीए/5858/2004/करोली
दिनेश बनाम कलावती</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
</table>

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, अधिवक्ता ब्रीफहोल्डर, प्रार्थीगण
श्री लोकेश चतुर्वेदी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 29.08.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, करोली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-11-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीगण प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।

योग्य अधिवक्ता प्राथीगर्ण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को भलीभांति नहीं समझ कर प्रार्थनापत्र को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि वादी अप्रार्थी की ओर से विवादित आराजी बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही वर्ष 2002 में विवादित भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है तथा विवादित सम्पूर्ण भूमि पर मकानात बन चुके है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन कानूनी बिन्दू को नजरअन्दाज करते हुए निगराधीन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5858/2004/करोली दिनेश बनाम कलावती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार कर वादी अप्रार्थी की ओर से विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत मूल वाद को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को विधिसम्मत् होना बताया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार द्वारा विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्धारण साक्ष्य उपरान्त ही होगा। उक्त दावा संधारण योग्य है अथवा नहीं, इसका निर्धारण दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त ही होगा। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं मूल वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के लम्बित रहते प्रार्थीगण प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5858/2004/करोली दिनेश बनाम कलावती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुनकर प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी एवं मूल वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों के मद्देनजर मूल वाद में तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दू निहित होना पाया जाता है, जिनका निर्धारण दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विवाघक विरचित करने के बाद उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त ही होगा। विभिन्न माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि घोषणा के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से निरस्त किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में घोषणा एवं बंटवारे के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक विवादित आराजी बाबत् वाद प्रस्तुत होने से पूर्व ही वर्ष 2002में विवादित आराजी आबादी में परिवर्तित होने का प्रश्न है, उक्त बिन्दूओं बाबत् विचारण न्यायालय द्वारा सर्व प्रथम विवाघक विरचित कर उसका निर्धारण प्राथमिकता से करने के निर्देश प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायहित में विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र में वर्णित आक्षेपों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5858/2004/करोली दिनेश बनाम कलावती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबत् पृथक से तनकी कायम कर उक्त तनकी का निर्धारण व निर्णय प्राथमिकता से उभयपक्ष को सुनकर सर्वप्रथम करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	